संख्या: 40/2020/1934/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से खरीफ 2020 की कटाई के दौरान पराली प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पराली जलाने को पूरी तरह रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे।

2. आप अवगत ही हैं कि पराली जलाने को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कडे निर्देश दिये गये हैं और इसका अनुश्रवण भी माननीय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह एन0जी0टी0 द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गत वर्ष दिनांक 6 नवम्बर, 2019 को सुनवाई के दौरान विस्तृत निर्देश दिये गये थे। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि पराली जलाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोका जाना है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये।

3. सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से 04 अक्टूबर, 2020 के मध्य पूरे प्रदेश में अवशेष के जलाने की 33 धटनाओं की सूचना मिली है। इसकी जिलेवार सूची संलग्न है। अगर यह सारी घटनाएं धान अथवा गन्ना के अवशेष को जलाने से संबंधित हैं तो यह निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और गम्भीर विषय है। आपसे अपेक्षा है कि अविलम्ब इस सम्बन्ध में मौके पर राजस्व, कृषि, पुलिस विभाग की टीम को भेजते हुए इसका स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें और इसकी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें। स्थलीय निरीक्षण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये:-

1. क्या सूचित अवशेष जलाने की घटनाएं पराली जलाने की थी अथवा अन्य अवशेष।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अगर यह पराली जलाने से संबंधित थीं तो संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ प्रचलित कानून के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित खेतों पर जिसमें संचालित किया गया है, कम्बाइन को तत्काल सीज करते हुए उनके संचालक के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाये।
3. इसकी भी जांच की जाये कि क्या संबंधित गांव में पर्याप्त संख्या में पराली प्रबंधन के लिए मशीन थी अथवा नहीं और अगर थी तो फिर उनका उपयोग संबंधित कृषक द्वारा क्यों नहीं किया गया? यह सुनिश्चित किया जाये कि केन्द्र पोषित योजना इन-सीटू में पर्याप्त संख्या में पराली प्रबंधन के यंत्रों का तत्काल प्रबंध कर दिया जाये।
4. संबंधित गांव में उत्पन्न हो रहे पराली को गो-आश्रय स्थलों में भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी?

4. उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए कृपया आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी और अपर मुख्य सचिव, कृषि के ई-मेल आई0डी0 psup.agri@gmail.com पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि पराली जलाने की घटनाओं का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5. अत: आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि पराली जलाने की घटना न हो और इस हेतु प्रचार-प्रसार, प्रवर्तन कार्यवाही तथा पराली प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों को अधिक से अधिक उपयोग की रणनीति को कारगर रूप से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या:40/2020/1934(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 04 अक्टूबर, 2020 तक अवशेष जलाने की प्रकाश में आयी घटनाओं की जनपदवार सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रकाश में आयी घटना
1	अलीगढ	02
2	बाराबंकी	01
3	बरेली	02
4	बस्ती	01
5	बुलन्दशहर	02
6	एटा	01
7	फतेहपुर	01
8	गौतमबुद्धनगर	01
9	गोरखपुर	01
10	हापुड	01
11	जौनपुर	01
12	कानपुर देहात	01
13	महराजगंज	01
14	मैनपुरी	01
15	मथुरा	01
16	मेरठ	02
17	मुरादाबाद	01
18	मुजफ्फर नगर	02
19	पीलीभीत	02
20	रामपुर	02
21	सम्भल	01
22	संतकबीरनगर	02
23	शाहजहॉपुर	01
24	शामली	01
25	सीतापुर	01
	योग	**33**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।